



352/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 9036 /28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक : 04 जनवरी 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-पीलीभीत।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

| धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में) | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| बैंक का नाम | खाता संख्या | आईएफएससी कोड | धनराशि |
| बैंक आफ बड़ौदा | 00730100021301 | IFSC Code BARBOPILBH | 397.367 |

(धनराशि लाख रू० में)

| क्र०सं० | जनपद का नाम | अनुदान संख्या | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त) |
|---------|-------------|---------------|------------------------|--|--|
| 1 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० विलसण्डा | वार्ड नं० 02 मो० नियर बिजली घर, में सुरेश राय के मकान से बाबूराम कश्यप के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 7.429 |
| 2 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० विलसण्डा | वार्ड नं० 02 मो० नियर बिजली घर, में आनन्द प्रजापति के मकान से बाबूराम एवं रामपाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 21.913 |
| 3 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० गुलरिया भिण्डारा | वार्ड नं० 05 में भिण्डारा रोड से अयासज व अयूब कबाड़ी के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य। | 15.561 |
| 4 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० गुलरिया भिण्डारा | वार्ड नं० 09, मो० मियां खां भाग 2 में रफीक के मकान से नफीस व कल्लू के मकान से अनवर के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 12.216 |
| 5 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० गुलरिया भिण्डारा | वार्ड नं० 06 में डयूनीडाम रोड से टनकपुर रोड तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य। | 19.823 |
| 6 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० न्यूरिया हुसैनपुर | वार्ड नं० 10 मो० तिगड़ी में समसुल के मकान से मकदुम शाह बाबा की मजार तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 17.776 |
| 7 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० न्यूरिया हुसैनपुर | वार्ड नं० 03 मो० नई बस्ती लाईन पार भाग-1 में जहीरउददीन के मकान से नथू के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य। | 12.643 |
| 8 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० गुलरिया भिण्डारा | वार्ड नं० 09 गुलरिया में सुलेमान के घर से कल्लू खां के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य। | 16.913 |
| 9 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० न्यूरिया हुसैनपुर | वार्ड नं० 10 मो० तिगड़ी में राजेश गुप्ता के प्लॉट से अनूप गुप्ता के घर से होते हुए राम निवास के घर तक | 16.735 |



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

352/2

| क्र०सं० | जनपद का नाम | अनुदान संख्या | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व गलिन बस्ती विकास योजनांतर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त) |
|---------|-------------|---------------|------------------------|---|---|
| | | | | व नेशनल राइस मिल से भारत रोइस मिल तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | |
| 10 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०पा०प० पूरनपुर | वार्ड नं० 08 गनेशगंज पूर्वी में कार्य कैसर कपड़ों के घर से सादिक हुसैन की दुकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 6.575 |
| 11 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०पा०प० पूरनपुर | वार्ड नं० 11 गनेशगंज पश्चिम में डा० संतोष के चौक से नगर पालिका चौराहा तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 10.943 |
| 12 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०पा०प० पूरनपुर | वार्ड नं० 06 साहूकारा लाईनपार में मार्घेटाण्डा रोड के किनारे सिंह किराना स्टोर से डॉ०बी० आर०एस० क्लीनिक तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य। | 7.554 |
| 13 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०पा०प० पूरनपुर | वार्ड नं० 19 एवं 14 में गनेशगंज पूर्वी में चन्द्रभान के घर से रामऔतार पाण्डेय के घर एवं रामलीला रोड तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य। | 11.246 |
| 14 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० बिससण्डा | वार्ड नं० 02 मो० बिजलीघर कॉलोनी में ओम प्रकाश से तालाब एवं राम स्वरूप के मकान से नन्हे लाल तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 17.225 |
| 15 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० बिससण्डा | वार्ड नं० 02 बिजली घर से सुशील शुक्ला के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 24.582 |
| 16 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० बिससण्डा | वार्ड नं० 02 में बी०बी०जी० रोड से मुकेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 16.282 |
| 17 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० बिससण्डा | वार्ड नं० 02 में बी०बी०जी० रोड से मास्टर साहब के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 16.166 |
| 18 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० बिससण्डा | वार्ड नं० 02 मो० नियर बिजलीघर कॉलोनी में सियाराम के मकान से श्रीकृष्ण के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 6.157 |
| 19 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० बिससण्डा | वार्ड नं० 02 मो० नियर बिजलीघर कॉलोनी में सियाराम से कुंज बिहारी एवं राकेश से शिव मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 20.009 |
| 20 | पीलीभीत | मु०अ०-37 | न०प० न्यूरिया हुसैनपुर | वार्ड नं० 05 मो० खेड़ा में मेन मार्केट से असगर के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 14.502 |
| 21 | पीलीभीत | म०ब०-83 | न०पा०प० पीलीभीत | वार्ड नं० 04 के मो० अम्बेडकर नगर में निरंजन के घर से महेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक सड़क व नाली का निर्माण कार्य। | 20.267 |
| 22 | पीलीभीत | म०ब०-83 | न०पा०प० पीलीभीत | वार्ड नं० 01 मो० नखासा से रामू वाल्मीकी के मकान से हरीश की डेरी तक अवशेष भाग में इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लॉक रोड एवं नाली व पुलिया का निर्माण कार्य। | 9.458 |
| 23 | पीलीभीत | म०ब०-83 | न०पा०प० | वार्ड नं० 02 बागगुलशेर खा. में महेन्द्र से राजवीर चिम्मन से शैरा सिंह, मुकेश से राम भरोसे एवं भागीरथ | 15.232 |



352/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

| क्र०सं० | जनपद का नाम | अनुदान संख्या | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त) |
|---------|-------------|---------------|-----------------|---|--|
| | | | पीलीभीत | से रामपाल तक अवशेष भाग में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। | |
| 24 | पीलीभीत | म०ब०-83 | न०पा०प० पीलीभीत | वार्ड नं० 02 बागगुलशेर खा में घन्नई ताल से नौगवां चौराहे तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | 26.522 |
| 25 | पीलीभीत | म०ब०-83 | न०पा०प० पीलीभीत | वार्ड नं० 1 में मेन रोड से कम्पोजिट स्कूल तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 8.541 |
| 26 | पीलीभीत | म०ब०-83 | न०पा०प० पीलीभीत | वार्ड नं० 06 मो० सुनगढ़ी में डा० गोखले अस्पताल से रज्जन तक अवशेष भाग में सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य। | 25.097 |
| | योग | | | | 397.367 |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

(Handwritten signature)



352/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक